कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक :– एफ ( )एफसीए/मुवसं/2020–21/ 1705 दिनांक 23/3/2021

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफ.सी.ए., राजस्थान, जयपुर।

विषयः–"Diversion of 0.99 ha. Forest land in favour of Public Work Department, Dausa for construction of missing link road from Udaipura road to Todabheem road .". FP/RJ/ROAD/26222/2017

संदर्भः– आपका ऑनलाईन ई.डी.एस–I दिनांक 07.08.2018 व ई.डी.एस. दिनांक 01.03.2021 एवं उप वन संरक्षक, करौली का पत्रांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2020–21/1647 दिनांक 17.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस.–I दिनांक 07.08.2018 के कम में उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 17.03.2021 से विषयांकित प्रकरण में जारी ई.डी.एस. का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित किया हैः–

क.सं.	आक्षेप	आक्षेप पूर्ति
1	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा पार्ट–III में 0.99 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन से सहमति अभिशंषा की गयी है जबकि प्रस्ताव में उनके अधीनस्थ वनमण्डल दौसा द्वारा मात्र 0.4896 है. वन क्षेत्र ही प्रत्यावर्तन हेतु अभिशंषा की गयी है। अतः संशोधित रिपोर्ट पार्ट III में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, करौली व इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
2	उप वन संरक्षक, करौली के ऑनलाईन प्रस्ताव में 4 वृक्ष आना अंकित किया गया हार्ड प्रति में संलग्न पार्ट II में अंकित नहीं है। प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा वृक्षों की सूची संलग्न नहीं की गयी है।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा वृक्षों की सूची संलग्न कर दी गयी है।
3	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के रूप में प्रत्यावर्तित वन भूमि का दुगना क्षेत्र में लिया गया है जबकि उप वन संरक्षक, दौसा द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की एवज में कोई राशि नहीं ली गयी है। प्रस्ताव 1 है. से कम का है अतः काटे जाने वाले वृक्षों के दस गुना वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त डीजीपीएस मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कॉनर्स अंकित नहीं किये गये है। एवं जी.टी.शीट भी उचित स्केल पर अपलोड नहीं की गयी है।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, स्थल उपुयक्तता प्रमाण पत्र, डीजीपीएस मैप, जीटी शीट अपलोड कर दी गयी है।
4	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा चौकी निर्माण हेतु राशि 10.00 लाख की मांग की गयी है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतिक्रमण रोके जाने हेतु दीवार बनवाई जा सकती है। तदनुसार संशोधित अभिशंषा भिजवाया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा दीवार निमाण हेतु मांग पत्र संलग्न कर दिया है।
5	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा पार्ट I एवं पार्ट II के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा पार्ट I एवं पार्ट II के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

Scanned with CamScanner

6	यूजर एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	वन अधिकार अधिनियमत्र 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में जिला कलक्टर का वन अधिकार प्रमाण पत्र व जिला स्तरीय, उपखण्ड स्तरीय, ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर दिया गया है।
7	एरिया कैलकुलेशन शीट में प्रस्तावित वन क्षेत्र पी.एफ. अंकित किया गया है जबकि करौली जिले का वन क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में आता है। संशोधित शीट लगाया जाना प्रस्तावित है।	संशोधित एरिया कैलकुलेशन शीट संलग्न कर दी गयी है।
8	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट I के बिन्दु संलग्न डीजीपीएस मैप में वन भूमि के सम्पूर्ण कॉनर्स के अक्षांश व देशान्तर संलग्न नहीं किये गये हैं।	डीजीपीएस मैप में वन भूमि के सम्पूर्ण कॉनर्स के अक्षांश व देशान्तर अंकित कर संलग्न कर दिया गया है।
9	यूजर एजेन्सी ने कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अवगत कराया है। इस पर उप वन संरक्षक, करौली व दौसा द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। विकल्पों का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी द्वारा पत्रांक 16.06.2020 से अवगत कराया है कि सडक के एक तरफ आबादी क्षेत्र है एवं दूसरी तरफ पहाडी का बडा क्षेत्रफल आ जाता है जिस कारण से काई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।
10	यूजर एजेन्सी द्वारा 9 मीटर चौडाई में मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसका ले आउट प्लान दिया जाना प्रस्तावित है।	9 मीटर चौडाई का ले आउट प्लान संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रस्ताव में प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे चैनेज सं. 0/220 से 0/937 तक पहाडी क्षेत्र में सडक निर्माण किया जाना अंकित है जबकि संलग्न क्रॉस सेक्शन में 0/400 से 1/150 तक पहाडी क्षेत्र में सडक बनाया जाना अंकित किया गया है। प्रस्ताव में पहाडी की कटाई सम्मिलित है। कटाई के दौरान निकाले गये मलबा के सम्बन्ध में मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	मलबा निस्तारण योजना हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है। यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित क्रॉस सेक्शन संलग्न कर दिया गया है।
12	यूजर एजेसी दोनों प्रस्तावों को सम्मिलित कर एकजाई प्रस्तुत करें एवं समस्त पृष्ठों में हस्ताक्षर मय नाम पद सील दिनिांक के प्रस्तुत किया जावे।	इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

अतः आपके संदर्भित ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 07.08.2018 के क्रम में आक्षेप पूर्ति की जाकर प्रस्ताव की पॉच हार्ड प्रतियां इस कार्यालय के पत्रांक एफ ( )एफसीए/मुवसभ/2020/23 दिनांक 06.01.2021 के संलग्न आपको प्रेषित की गयी हैं। साथ ही आपके ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक 01.03.2021 के क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता की साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट अपलोड कर दी गयी है। ऑनलाईन प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डॉ.सी.आर.मीना)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

Scanned with CamScanner